58

संख्या–   /XXVIII(1)/2013-21(Nursing)/2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय चन्दर नगर,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक: 02 ~~दिसम्बर, 2013~~ जनवरी 2014

विषयः– **जनपद टिहरी गढ़वाल के सुरसिंगधार नामक स्थान पर राजकीय ए0एन0एम0 स्कूल भवन एवं छात्रावास निर्माण के द्वितीय चरण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–Z.28015/76/2010-N, दिनांक 27.10.2010 के कम में जनपद टिहरी गढ़वाल में राजकीय ए0एन0एम0 स्कूल भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1356/XXVIII(1)/2011-21(Nursing)/2011, दिनांक 01.12.2011 द्वारा प्रथम चरण कार्यों हेतु निर्गत स्वीकृति के कम में उक्त कार्य के निर्माण कार्यों हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 212.06 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत ₹ 17.59 लाख अर्थात कुल ₹ 229.65 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा प्रथम किश्त के रूप में जनपद टिहरी में ए0एन0एम0 स्कूल निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 125.00 लाख महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के पी0एल0ए0/बैंक खाते में रखी गयी धनराशि से व्यय किये जाने तथा ₹ 25.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में से अवमुक्त किये जाने की सहमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i– उक्त स्वीकृत धनराशि में 85 प्रतिशत केन्द्रांश (₹ 195.20 लाख) तथा 15 प्रतिशत राज्यांश (₹ 34.45 लाख) देय होगा।

ii– उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iii– भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुरूप है एवं तद्नुसार ही सम्पादित किये जायेंगे।

iv– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–Z.28015/76/2010-N, दिनांक 27.10.2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

v– उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रकिया से किया गया हो एवं स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

vi– शासनादेश संख्याः–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम0ओ0यू0 के निष्पादन के बाद अवमुक्त की

F:\A CB\Draft\CB Budget.doc

जा सकेगी। कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुनरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

vii– कार्यदायी संस्था को डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों एवं साज सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार शासनादेश सं0–163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22.05.2008 एवं इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग के नवीनतम शासनादेशों के अनुसार देय होगा ।

viii–कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

ix– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

x– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

xi– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

xii– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए ताकि निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

xiii–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

xiv–कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xv– उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को भविष्य में प्रश्नगत कार्यदायी संस्था के सेन्टेज चार्ज (Centage Charge) में समायोजित किया जायेगा।

xvi–उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार एवं कार्य की भौतिक/वित्तय प्रगति के आधार पर महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, एन0बी0सी0सी0, देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

xvii– स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xviii– आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

xix–स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या हर दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

xx– कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि योजना हेतु किये जाने वाले कार्य आवंटन/निविदा/आउटसोर्स आदि की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु समय–समय पर सूचनाऐं चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी।

xxi–धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

xxii– कार्य का निष्पादन मानकानुसार व पूर्ण गुणवत्ता सहित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–03–चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथिक– 11–नर्सिंग स्कूल की स्थापना के मानक मद 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति में से आय–व्ययक 2013–14 में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि ₹ 25.00 लाख कम्प्यूटर आई0डी0 संख्या–5140112019 दिनांक 02 ~~दिसम्बर, 2013~~ जनवरी 2014 से निर्गत कर दी गयी है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–112(P)/XXVII(3)/2013–14, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– 40 (1)/XXVIII(1)/2013-21(Nursing)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3- जिलाधिकारी, टिहरी।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के पत्र संख्या– Z.28015/76/2010-N, दिनांक 27.10.2013 से प्राप्त धनराशि में से उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित को भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
8- महाप्रबन्धक, एन0बी0सी0सी0, 26 सी, राजपुर रोड, सेंट जोजेफ स्कूल के सामने, 01 फ्लोर, देहरादून।
9- बजट राजकोशीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10- वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

F:\NCB\Draft\NCB Budget.doc

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Medical Education (S031)

आवंटन पत्र संख्या - 40/XXVIII(1)/2014-21(Nursing)/2011

अनुदान संख्या - 012

अलोटमैंट आई डी - S1401120019

आवंटन पत्र दिनांक -02-Jan-2014

HOD Name - Director General Medical Health & Family Welfare (2671)

1: लेखा शीर्षक

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

105 - एलौपैथी

00 - नर्सिंग स्कूल की स्थापना

03 - चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

11 - नर्सिंग स्कूल की स्थापना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	2500000	2500000
	0	2500000	2500000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2500000

02.01.14
(मायावती कुकरियाल)
उप सचिव,
चिकित्सा शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन